राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

1 अप्रेल, 2006 से 31 मार्च 2007 तक की पंजीयन, निर्णित एवं विचाराधीन प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल प्राप्त प्रकरण	प्रथम दृष्टया निस्तारित प्रकरण	बिना प्रतिवेदन मंगाये प्राथमिक जांच के उपरांत सनिदेश निस्तारित प्रकरण	जांच के उपरांत निस्तारित प्रकरण	परिवादी को अनुतोष देने एवं राज्य सरकार को अनुशंसित प्रकरण	कुल निस्तारण (4+5+6+7)	विचाराधीन प्रकरण 3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	134	60	43	26	0	129	5
2.	अलवर	178	85	11	68	2	166	12
3.	बारां	69	31	0	29	0	60	9
4.	बांसवाड़ा	25	0	6	13	0	19	6
5.	बाड़मेर	92	15	28	36	0	79	13
6.	भरतपुर	168	68	58	27	1	154	14
7.	भीलवाड़ा	122	62	33	23	0	118	4
8.	बीकानेर	84	5	27	20	0	52	32
9.	बूंदी	85	23	33	25	0	81	4
10.	चित्तौड़गढ़	229	60	124	24	0	208	21
11.	चूरू	43	24	2	5	0	31	12
12.	दौसा	117	41	30	28	0	99	18
13.	धोलपुर	106	42	38	23	0	103	3
14.	डूंगरपुर	14	7	2	4	0	13	1
15.	हनुमानगढ़	66	32	6	16	0	54	12
16.	श्रीगंगानगर	98	43	7	37	0	87	11
17.	जयपुर	712	281	80	187	6	554	158
18.	जैसलमेर	34	3	16	6	0	25	9
19.	जालौर	49	7	13	12	0	32	17
20.	झालावाड़	131	65	8	49	0	122	9
21.	झुन्झुनूं	102	11	28	33	0	72	30
22.	जोधपुर	141	25	31	39	1	96	45
23.	करौली	94	30	32	25	0	87	7
24.	कोटा	125	63	7	29	0	99	26
25.	नागौर	127	25	44	37	1	107	20
26.	पाली	153	18	47	44	0	109	44
27.	राजसमन्द	40	18	14	5	0	37	3
28.	स. माधोपुर	102	43	25	17	0	85	17
29.	सीकर	127	63	5	40	0	108	19
30.	सिरोही	51	7	18	12	1	38	13
31.	टोंक	98	30	38	26	0	94	4
32.	उदयपुर	111	52	6	28	0	86	25
33.	राज्य से बाहर	17	9	3	3	1	16	1
	कुल	**3844**	**1348**	**863**	**996**	**13**	**3220**	**624**

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

1 अप्रेल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक कुल प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित घटनाओं का जिलेवार / विषयवार वर्गीकरण

जिले का नाम	बालक से सम्बन्धित 100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (2001 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07	आपराधिक निरोध (400.01 से 400.03)	श्रमिकों सम्बन्धित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से सम्बन्धित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से 800.02)	धर्म/समुदाय से सम्बन्धित (900.01 से 900.06)	महिलाओं से सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01 से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
1. अजमेर	0	1	6	1	0	1	30	2	0	1	6	86	134
2. अलवर	1	1	5	0	0	2	55	1	4	11	3	95	178
3. बारां	0	0	2	0	0	0	24	1	0	0	3	39	69
4. बांसवाड़ा	0	0	0	1	0	0	6	0	2	1	4	11	25
5. बाड़मेर	2	1	0	0	0	0	18	1	1	7	1	61	92
6. भरतपुर	0	1	3	2	0	1	62	0	2	2	13	82	168
7. भीलवाड़ा	0	0	0	0	1	1	27	1	0	0	2	90	122
8. बीकानेर	2	1	3	0	0	1	14	0	0	8	1	54	84
9. बूंदी	0	1	0	0	1	0	32	0	0	2	5	44	85
10. चित्तौड़गढ़	0	0	0	1	0	2	39	1	0	3	65	118	229
11. चूरू	1	1	0	0	0	0	4	0	0	2	2	33	43
12. दौसा	2	2	1	0	0	0	34	1	0	9	3	65	117
13. धौलपुर	0	1	0	0	0	0	39	0	0	1	3	62	106
14. डूंगरपुर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	6	14
15. हनुमानगढ़	0	0	1	0	0	0	14	0	0	4	3	44	66
16. श्रीगंगानगर	4	0	0	0	0	0	28	0	0	6	2	58	98

जिले का नाम	बालक से सम्बन्धित (100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (2001 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07	आपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	महिलाओं सम्बन्धित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से सम्बन्धित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से 800.02)	श्रम/कर्मचारी से सम्बन्धित (900.01 से 900.05)	परिवहनों से सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	शेष नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01 से 1002.11)	विभागवार कुल प्रकरण
17. जयपुर	10	19	27	1	0	5	193	7	2	33	16	400	713
18. जैसलमेर	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	26	34
19. जालौर	0	0	0	0	0	1	9	1	0	6	14	18	49
20. झालावाड़	0	2	1	0	0	1	50	0	0	2	6	69	131
21. झुन्झुनूं	0	1	0	0	0	0	19	0	1	10	4	67	102
22. जोधपुर	1	1	9	0	1	1	19	0	4	10	3	92	141
23. करौली	0	0	1	0	2	2	32	0	3	10	17	27	94
24. कोटा	0	1	4	0	0	0	35	0	0	1	14	69	124
25. नागौर	0	2	0	0	0	1	30	0	0	3	8	83	127
26. पाली	0	0	0	0	1	3	24	0	7	12	37	69	153
27. राजसमन्द	0	1	0	0	0	0	9	0	1	3	7	19	40
28. स. माधोपुर	0	0	0	0	1	1	33	0	0	9	27	31	102
29. सीकर	1	0	0	0	0	1	26	0	0	12	5	82	127
30. सिरोही	0	0	0	0	0	0	10	0	2	0	8	31	51
31. टोंक	0	1	0	2	0	2	35	0	2	2	7	47	98
32. उदयपुर	0	0	0	0	1	1	35	1	2	13	21	37	111
33. राज्य से बाहर	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	11	17
कुल	24	38	63	8	8	27	997	17	33	186	317	2126	3844

आयोग द्वारा निर्णित महत्वपूर्ण प्रकरण

1. परिवाद सं. 06/17/333 में आपातकालीन सेवाओं में जीवन रक्षक औषधियाँ सभी रोगियों को अस्पताल से यथासमय निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिये श्री अनिल वैश्य (मुख्य सचिव) के प्रकरण में आयोग ने दिनांक 12-5-2006 को आदेश पारित कर एस.एम.एस. अस्पताल से पूछा कि आपातकालीन सेवाओं में ऐसी दवाओं को उपलब्ध कराने की क्या प्रक्रिया हैं व क्या मानदण्ड बनाया हुआ है तथा जून 2005 से फरवरी 2006 तक कितने रोगियों को आपातकालीन सेवाओं में संचालित मेडीकल स्टोर से आवश्यक जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराई गई? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में आयोग को अवगत कराया है कि औषधि भण्डार में उपलब्ध जीवन रक्षक औषधियाँ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मांग किये जाने पर निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाती है। परिवाद को दिनांक 12-5-06 को निस्तारित करते हुए आयोग द्वारा अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं का जायजा मौके पर जाकर लेने का निर्णय लिया गया।

2. परिवाद सं. 02/17/1594 में दिनांक 11 मई, 2006 को आदेश पारित कर रोगियों को अनावश्यक आर्थिक भार डालने से बचाने के लिये कम कीमत की ऐसी जेनरिक दवाईयां, जो ज्यादातर जीवन रक्षा के काम में आती हैं, (अनुमोदित सूची के अनुसार) लिखने की चिकित्सकों से अपेक्षा की गई।

3. परिवाद सं. 04/17/257 में दिनांक 16-5-2006 को पारित आदेश में आयोग ने गर्भ में लिंग परीक्षण कराकर कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश रखने के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर से अपेक्षा की गई कि ऐसे मामले पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने तथा उनके द्वारा की गई कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराने हेतु कहा।

4. परिवाद सं. 06/17/1385 में आयोग की पहल पर गम्भीर बीमारी से ग्रस्त रोगी के इलाज पर अपनी आर्थिक हैसियत से अधिक रकम खर्च चुके परिजनों की मजबूरी एवं रोगी की गम्भीर स्थिति को मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर राज्य के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में तुरन्त आईसीयू में वेंटीलेटर उपलब्ध कराकर चिकित्सा मुहैया करवाने एवं पीड़ित की समस्याओं का निवारण करने के लिये आयोग ने दिनांक 2 जून, 2006 के आदेश में सम्बन्धित प्राईवेट हास्पिटल एवं एस.एम.एस. हास्पिटल के इस मानवीय एवं संवेदनशील कार्यवाही की सराहना की गई।

5. परिवाद सं. 05 /17/3038 में परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर द्वारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत यौन रोगों के उपचार एवं नियंत्रण, परिवार स्वास्थ्य जागरण अभियान रक्त सुरक्षा, स्वैच्छिक परामर्श एवं रक्त जांच केन्द्र, एच.आई.वी./एड्स एवं टी.बी. समन्वय कार्यक्रम, स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम, अवसरवादी संक्रमण हेतु निःशुल्क औषधि वितरण, स्वास्थ्यकर्मियों हेतु बचाव आदि के बारे में की जा रही कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग के अवलोकनार्थ प्रेषित की गई। आयोग द्वारा राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी से

नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है।

6. परिवाद सं. 06/15/28 में आयोग ने श्री हरिकिशन बावरी की पुत्री के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत एवं भा.द.स. की धारा 363, 366, 376 में पीड़िता होने के कारण आयोग के सुझावानुसार पीड़िता को रुपये 50,000/ की सहायता जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा प्रदान की गयी।

7. परिवाद संख्या 05/22/3781 में आयोग के आदेश द्वारा पीड़िता श्रीमती धापू देवी मेघवाल के साथ दिनांक 21-9-2005 को हुये बलात्कार प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर ने रुपये 6250/- की आर्थिक सहायता पीडिता को स्वीकृत की।

8. परिवाद संख्या 06/24/112 में श्रीमती नर्बदा शर्मा, जिसके पति सुरेश कुमार शर्मा राजस्थान विद्युत मण्डल में वरिष्ठ लिपिक थे, का देहावसान दिनांक 9-4-89 को हो गया जिसकी पारिवारिक पेंशन व अन्य परिलाभों के सम्बन्ध में आयोग के आदेशों पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा परिवादिया को पेन्शन लाभों की बकाया राशि रुपये 1,50,259/- का भुगतान कर उसकी पारिवारिक मासिक पेन्शन रुपये 833/- चालू की गयी।

9. परिवाद संख्या 06/26/1148 में श्री लक्ष्मण गौड वार्ड ब्वाय जो जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के अधीन कार्यरत है को चार माह से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा था। आयोग के आदेशों पर उसका बकाया वेतन का भुगतान दिनांक 5-5-06 को करा दिया गया।

10. परिवाद संख्या 06/26/1813 में परिवादी श्री पुरुषोत्तम लाल पुरोहित द्वारा दर्ज परिवाद के सम्बन्ध में आयोग के आदेशों पर अधीक्षक, डाकघर मारवाड़ पाली खण्ड को परिवादी की जी.पी.एफ. राशि रुपये 29,561/- का भुगतान दिनांक 6-9-06 को तथा केन्द्रीय कर्मचारी बीमा समूह-80 का भुगतान रुपये 7, 127/- दिनांक 28-8-06 को किया गया।

11. परिवाद संख्या 05/08/2608 में दिये गये आदेशानुसार परिवादी श्री दिनेश चन्द राजवंशी, पूर्व कान्सटेबल के पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी.सी.बी.वि.शा. जोन जोधपुर द्वारा निस्तारित कर पी.पी.ओ. नं. 439111/आर.जे. एवं जी.पी.ओ. नं. 458929 आर.जे. जारी कराये गये।

12. परिवाद संख्या 05/15/3648 में कुमारी रंजना सैनी, अधिवक्ता द्वारा एस.एच. ओ.टी.बी. के विरुद्ध अभद्रता का व्यवहार करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत शिकायत में थानाधिकारी पर लगाये गये आरोपों को प्रमाणित मानते हुए आयोग के आदेशों पर उसे परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

13. परिवाद संख्या 06/29/2123 में श्री फूलाराम द्वारा पेश परिवाद में आयोग द्वारा करायी गयी जांच के अनुसार मुलजिमान के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर अनुसंधान उपरान्त न्यायालय में चालान पेश किया गया।

14. परिवाद संख्या 06/11/123 में दिये गये आदेशानुसार भूतपूर्व सैनिक श्री राम निवास की पेन्शन स्वीकृत की जा चुकी है।

15. परिवाद संख्या 04/24/479 में दिये गये आदेशानुसार श्री ख्याली राम मीणा की कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा नियमानुसार पदोन्नति की जा चुकी हैं।

16. परिवाद संख्या 05/17/3048 में जे.के. लोन चिकित्सालय, जयपुर की ईकाई संख्या 4 में चिकित्सक व नर्सिंगकर्मियों की लापरवाही के कारण बच्ची की मृत्यु होने पर आयोग ने अंतरिम राहत स्वरूप 25000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये) बतौर सहायता के आदेश के साथ, सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी। जिस पर सरकार ने पीड़ित पक्ष को अंतरिम राहत का भुगतान किया।

17. परिवाद संख्या 6 /29/318 में पुलिसकर्मी द्वारा परिवादी से पासपोर्ट की तस्दीक हेतु रुपए मांगने पर आयोग ने निर्देशित किया कि दोषी आरक्षी महावीर सिंह के विरुद्ध जांच करके नियमानुसार उचित दंड दिया जायें।

18. परिवाद संख्या 2/23/1881 में बन्दी की मृत्यु होने पर आयोग ने मृतक के वारिसान को क्षतिपूर्ति हेतु अंतरिम सहायता स्वरूप रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये) अदा किए जाने के आदेश दिए।

19. परिवाद संख्या 6/17/2812 में आयोग के निर्देशों पर जयपुरिया अस्पताल में वरिष्ठ लेब टेक्निशियन का पदस्थापन किया जा चुका है। रोगियों की जांच हेतु सैम्पल लेने का समय भी बढ़ा दिया गया है। आयोग के निर्देश पर अस्पताल की सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से कराई जा रही है। इसके अलावा भविष्य में अस्पताल में सफाई का समुचित ध्यान रखने, खराब मशीनरी को तुरन्त ठीक करवाये जाने, मरीजों को असुविधा न हो, इसके लिए अच्छा वातावरण रखने के साथ-साथ यह भी निर्देश प्रदान किए गये हैं कि आयोग द्वारा कभी भी उक्त अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा।

20. परिवाद संख्या 4/9/552 में आयोग ने निर्देशित किया कि राज्य सरकार विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पोलिग्राफिक टेस्ट स्टॉफ की कमी को तुरन्त पूरा करें, जिससे हत्या जैसे गम्भीर मामलों के अन्वेषण में स्टॉफ की कमी के कारण देरी ना हो।

21. परिवाद संख्या 3/17/373 में वैवाहिक स्थलों की संख्या बेतहाशा बढ़ने और पार्किंग की व्यवस्था न होने के संबंध में आयोग के निर्देशों पर राज्य सरकार द्वारा विवाह स्थलों के संबंध में उपनियम बनाए जा चुके हैं तथा राजस्थान राजपत्र में जयपुर नगर निगम (विवाह स्थल) उप विधियॉ 2005 के नाम से दिनांक 6 जुलाई, 2006 को प्रकाशित हो चुके हैं। जिसकी अनुपालना कराने की जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है.

22. परिवाद संख्या 6/26/3193 में परिवादी लक्ष्मणसिंह, जिला पाली को वेतन नहीं देने के संबंध में आयोग के निर्देशों पर परिवादी को बकाया मानदेय माह जनवरी, 2006 से माह जनवरी, 2007 तक का भुगतान 42800/- रु. किया गया है।

23. परिवाद संख्या 6/26/1831 में परिवादी पुरुषोत्तम लाल पुरोहित, निवासी पाली को आयोग के निर्देशानुसार परिवादी का जी.पी.एफ. की अंतिम निकासी रु. 29561/– का भुगतान एवं केन्द्रीय कर्मचारी बीमा समूह 80 का भुगतान रु.

7127/– किया गया है।

24. परिवाद संख्या-06/17/86 में आयोग द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2007 को स्वप्रेरणा से लिए गये प्रसंज्ञान के तहत समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार "श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ से भी है 36 बच्चे लापता" की प्रति सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षकों को भेजकर मामले की तथ्यात्मक वस्तुस्थिति साथ-साथ 2006 में उनके जिलों में बच्चों की गुमशुदगी की संख्या, उन पर की गई तफतीश के नतीजे व की गई कार्यवाही के बारे में सूचना दिए जाने के निर्देश दिए गये।

25. परिवाद संख्या-07 /17/283 में मोबाइल टावर, इलेक्ट्रिक टावर, इलेक्ट्रिक पेनल व जनरेटर लगाकर ध्वनि प्रदूषण के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) हच कम्पनी से जवाब मांगा गया कि उनके द्वारा किन मानदण्डों के आधार पर एवं किन नियमों के अधीन रिहायशी मकानों/फ्लैटों की छत पर मोबाइल कम्पनी के टावर लगाये जा रहे हैं।

26. परिवाद सं. 07/02 /287 में परिवादी श्री द्वारका प्रसाद शर्मा के नाली के अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाने हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, खेडली को निर्देश दिये गये।

27. परिवाद संख्या 06/50/1870 में परिवादिया श्रीमती बसन्ती द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में आयोग द्वारा जॉच कराकर जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण को निर्देश दिये गये कि अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय में चालान पेश किया जाय। जिसकी पालना में दिनांक 4-8-06 को न्यायालय में चालान पेश हो चुका हैं।

28. परिवाद संख्या 06/06/3224 में श्री उदयचन्द शर्मा निवासी भरतपुर उनके रिहायशी मकान को सुनियोजित षडयन्त्र के तहत नगर परिषद भरतपुर के कर्मचारियों द्वारा तोड़े जाने की शिकायत की गई थी। आयुक्त, नगर परिषद भरतपुर ने एक गोपनीय रिपोर्ट निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित की थी, जिसकी प्रति उन्होंने आयोग को भी भेजी हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार श्री उदयचन्द शर्मा के मकान की तोड़फोड़ अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा की गई थी। प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि परिवादी को अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया हैं।

निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को लिखा गया कि परिवादी को हुए आर्थिक नुकसान का मूल्यांकन कर उन्हें मुआवजा दिलाये जाने की व्यवस्था करें एवं साथ ही इस मामले में पाये गये दोषी व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही करें। परिवादी श्री उदय चन्द शर्मा स्वयं को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु सक्षम न्यायालय में जाने के लिए भी स्वतंत्र हैं।